

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-467 व 468/2010/बूंदी

1. मै. बुंगे इंडिया प्रा.लि. (पुराना नाम जी.पी. सेवाल प्रोटीन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्रा. लि.) रामगंजबालाजी बून्दी।अपीलार्थी

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, कोटा।

2. उपायुक्त (अपील) अजमेर।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.एल.पाटौदी एवं सुश्री ईशु जैन
अभिभाषक

....अपीलार्थी की ओर से

श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक

....अप्रार्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 22.02.2017

निर्णय

1. उपर्युक्त अपील संख्या 467/10 व 468/10 ये 2 अपीलें अपीलार्थी विभाग की ओर से उपायुक्त (अपील्स) अजमेर वाणिज्यिक कर, (जिन्हें आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान सेल्स टैक्स एक्ट की धारा 58 एवं राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 55 के अन्तर्गत पृथक-पृथक प्रकरणों में पारित किये गये संयुक्त आदेश दिनांक 21.01.10 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी द्वारा इन अपील निर्णयों में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलें खारिज करते हुये कायम की गई मांग को विलम्ब से जमा करवाने के कारण विलम्ब की गणनानुसार आरोपित किये गये ब्याज को न्यायोचित एवं विधिसम्मत मानते हुये कर निर्धारण अधिकारी के आदेश यथावत रखे हैं।

2. इन सभी अपील प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जाकर निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वर्ष 2003-04 एवं 04-05 के पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.09.06 एवं 28.03.07 द्वारा कायम की गई मांग में से व्यवहारी द्वारा आरएसटी के तहत 171428/-रु, 62606/-रु, 404143/-रु की राशि विलम्ब से जमा करवाई गई। इसलिये कर निर्धारण अधिकारी ने विलम्ब की गणनानुसार 45641/- रु. का ब्याज धारा 58

२५२

लगातार.....2

आरएसटी एवं धारा 55 वेट के तहत आरोपित किया गया जिसे अपील सं. 31 द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में चुनौती दी गई है।

इसी प्रकार वर्ष 2003-04 एवं 04-05 के पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.09.06 एवं 28.03.07 द्वारा कायम की गई मांग में से व्यवहारी द्वारा सीएसटी के तहत 163865/-रु, 9679/-रु, 139364/- रु. की राशि विलम्ब से जमा करवाई गई। इसलिये कर निर्धारण अधिकारी ने विलम्ब की गणनानुसार 28599/- रु. का ब्याज धारा 58 आरएसटी एवं धारा 55 वेट के तहत आरोपित किया गया जिसे अपील सं. 9 अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में चुनौती दी गई है।

4. उपरोक्त अपीलें दर्ज की जाकर रिकार्ड व प्रत्यर्थागण को तलब किया गया। प्रत्यर्थागण के विद्वान अभिभाषक उपस्थित आयें।

5. उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

6. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.09.06 एवं 28.03.07 द्वारा कायम की गई मांग ही विधिसंगत नहीं है। इस संबंध में कायम की गई मांग राशि विवादित है जिनके विरुद्ध अपीलें दायर की गई हैं। मांग के पेटे जमा करवाये गये कर को विलम्ब से जमा करवाना मानले हुए आरोपित किया गया ब्याज स्वतः ही विधिसंगत नहीं होने से निरस्त योग्य हो जाता है। कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया है। इन्होंने अपीलें स्वीकार करते हुये कर निर्धारण अधिकारी के आदेश निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

7. विद्वान उप-राजकीय अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि मूल कर निर्धारण आदेश में आरोपित मांग विधिसंगत है और इन आदेशों के विरुद्ध कोई अपीलें नहीं हैं इसलिये उसे विलम्ब से जमा करवाने के कारण आरोपित किया गया ब्याज विधिसंगत होने से उचित है।

8. हमने पत्रावलियों का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-

9. अपीलों में प्रथम मुख्य आधार यह है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया।

कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावलियों के अवलोकन से पता चलता है कि कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 02.03.09 को दोनो आदेश अलग-अलग

पारित करते हुये ब्याज क्रमशः 45631/- रु. व 88,599/- रु. आरोपित किया हैं। यह सही है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस संबंध में कोई नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है परन्तु अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा इसके विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपायुक्त (अपील्स) अजमेर वाणिज्यिक कर विभाग अजमेर में अपील प्रस्तुत की है जिसमें अपीलार्थी को सुनवाई का भरपूर अवसर मिला है परन्तु अपीलार्थी व्यवहारी ने इस संबंध में ऐसा कोई तथ्य या विधिक प्रावधान प्रस्तुत नहीं किया है जिससे व्यवहारी का ब्याज बाबत दायित्व समाप्त होता हो। इस न्यायालय में भी अपीलार्थी को सुनवाई का व अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर मिला है परन्तु इस स्तर पर भी ब्याज के दायित्व के संबंध में ऐसा कोई विधिक प्रावधान या तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह सिद्ध होता हो कि प्रार्थी का ब्याज बाबत दायित्व नहीं बनता है।

10. व्यवहारी का निगरानी में द्वितीय मुख्य आधार यह है कि कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.09.06 एवं 28.03.07 द्वारा कायम की गई मांग ही विधिसंगत नहीं है। इस संबंध में कायम की गई मांग राशि विवादित है जिनके विरुद्ध अपीलें दायर की गई हैं। मांग के पेटे जमा करवाये गये कर को विलम्ब से जमा करवाना मानते हुए आरोपित किया गया ब्याज स्वतः ही विधिसंगत नहीं होने से निरस्त योग्य हो जाता है।

अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में भी यह आधार लिया था कि कायम की गई मांग के विरुद्ध अपीलें दायर की गई हैं जिससे मूल मांग विवादित होने के कारण इस पर ब्याज देय नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में या इस न्यायालय में अपीलार्थी ने न तो दायर की गई अपीलों का कोई विवरण दिया है व न ही अपीलों की प्रतियां प्रस्तुत की है जिससे अपीलार्थी के इस कथन की पुष्टि नहीं होती है कि मूल मांग कायमी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही विचाराधीन है। इस प्रकार अपील का यह आधार भी स्वीकार योग्य नहीं हैं।

11. अब इस बिन्दु पर विचार किया जाता है कि प्रकरण में ब्याज देय है या नहीं।

प्रथम प्रकरण में मांग राशि 1,71,428/- रु, 62,606/- रु, 4,04,143/-रु. क्रमशः दिनांक 24.09.07, 24.09.07, 15.09.07 को जमा करवाई गई है जो क्रमशः 332 दिन, 149 दिन, 139 दिन विलम्ब से जमा करवाई गई है। इसी प्रकार द्वितीय प्रकरण में मांग राशि 1,63,865/- रु, 9,678/- रु,

1,39,364/-रु. क्रमशः दिनांक 27.09.06, 24.09.07, 24.09.07 को जमा करवाई गई है जो क्रमशः 362 दिन, 149 दिन, 149 दिन विलम्ब से जमा करवाई गई है। विलम्ब से जमा करवायी गई राशि के संबंध में राजस्थान सेल्स टैक्स एक्ट की धारा 58 एवं राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 55 के प्रावधान निम्न प्रकार है :-

Section 58. Interest on failure to pay tax or other sum payable

(1) Where a dealer or a person commits default in making the payment of any amount of tax leviable or payable or of any amount of tax leviable or payable or of any amount of tax, fee, interest or penalty assessed or determined or of any amount or demand otherwise payable, **within the specified time under the provision of this Act or the rules made or notification issued thereunder, such dealer or person shall be liable to pay interest on such amount** at the rate of two per cent per month, for the period starting from the day immediately succeeding the date specified for such payment and ending with the day on which such payment is made.

(2) Subject to the provisions of sub-section (2) of section 70, interest under sub-section (1) shall be calculated -

(a) at the time of assessment under any section or in continuation of such assessment; and

(b) on payment including adjustment of a demand in full.

(3) The liability to pay interest under the provisions of this section shall also arise for a period which is less than a month.

55. Interest on failure to pay tax or other sum payable. - (1) Where any person or a dealer commits a default in making the payment of any amount of -

(a) tax leviable or payable; or

(b) any amount of tax, fee, penalty or interest assessed or determined; or

(c) any other amount payable by him,

within the specified time under the provisions of this Act or the rules made or notifications issued thereunder, he shall be liable to pay interest on such amount at such rate, as may be notified by the State Government from time to time, for the period commencing from the day immediately succeeding the date specified for such payment and ending with the day on which such payment is made.

(2) Subject to the provisions of sub-section (2) of section 66, interest under sub-section (1) shall be calculated- at the time of assessment under any section or in continuation of such assessment; and

(a) on payment including the adjustment of a demand in full.

(3) The liability to pay interest under the provisions of this section shall also arise for a period which is less than a month.

(4) Where a dealer, registered under this Act, has wrongly availed input tax credit or has been granted an erroneous refund in any manner, such dealer shall be liable to pay interest, at such rate as may be notified by the State Government from time to time, on the amount of wrongly availed credit or the amount of such

refund as the case may be and such interest shall be calculated from the first day of the month succeeding the month in which the credit was wrongly availed or the refund was erroneously granted till the day on which such payment is made.

उपरोक्त विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कर निर्धारण राजस्थान सेल्स टैक्स एक्ट 1994 लागू रहने की अवधि के दौरान वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 का कर निर्धारण 27.09.06 एवं 28.03.07 को नये अधिनियम लागू होने के पश्चात् किया है तथा दोनों ही अधिनियमों में उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत मांग राशि जमा नहीं करवाये जाने पर ब्याज का प्रावधान है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने मांग कायमी समय पर जमा नहीं करवाने पर ब्याज आरोपित किया है जिसमें गुणावगुण पर विचार करने से कोई त्रुटि नहीं है तथा कर निर्धारण अधिकारी का आदेश अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने विधिसम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

12. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलें सारहीने होने के कारण खारिज की जाती है तथा कर निर्धारण अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पुष्टि की जाती है।

13. निर्णय सुनाया गया।

ज(२४/२१)
(नत्थूराम)
सदस्य